पंजीयन संख्या : 68939 /98 अंक – 19, वर्ष – 24

ज्ञान तत्व

समाज शास्त्र

अर्थ शास्त्र

धर्म शास्त्र

राजनीति शास्त्र

432

- : सम्पादक :-

बजरंग लाल अग्रवाल

रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 16/07/2023

प्रकाशन की तारीख 01/07/2023

पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)

पेज संख्या - 24

“ शराफत छोड़ो, समझदार बनो ”

“ सुनो सबकी, करो मन की ”

“ समस्याओं के प्रणेता, कर कानून नेता ”

“ समाधान का आधार ज्ञान यज्ञ परिवार ”

“ चाहे कोई अत्याचार, नहीं करेंगे नही सहेंगे ”

“ हमें सुराज्य नही, स्वराज्य चाहिए ”

विविध विषयों पर बजरंग मुनि जी के महत्वपूर्ण विचार

1–काँग्रेस अब नेहरू परिवारवाद से मुक्ति की ओर :

इस सप्ताह की महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाओं में इस बात की बहुत चर्चा रही कि राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी घोषित कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी ने इस तरह की बचकानी बात क्यों कर दी। मुस्लिम लीग विभाजन के लिए भी जिम्मेदार रही है और वर्तमान समय में भी मुस्लिम लीग पूरी तरह सांप्रदायिक है। एक तरफ कर्नाटक की विधानसभा में चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार ने विधानसभा के शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र का छिड़काव कराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रामायण मेला आयोजित किया। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ यात्रा आयोजित की जा रही है। मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ जी ने धीरे–धीरे अपनी राह बदल ली है और हिंदुत्व की दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर यह पागल राहुल मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी घोषित कर रहा है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि विपक्ष की समस्या कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि नेहरू परिवार है। धीरे–धीरे प्रदेशों के बड़े नेता नेहरू परिवार से मुक्त होते जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो नेहरू परिवार को आंख ही दिखा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी नेहरू परिवार को एक बार अपनी शक्ति दिखा दी है। धीरे–धीरे सभी जगह नेहरू परिवार से कांग्रेस पार्टी मुक्त होती जा रही है। मेरे विचार से यह शुभ संकेत है कि नेहरू परिवार जो एक पूरी तरह सांप्रदायिक परिवार है, उस परिवार से कांग्रेस पार्टी के लोग भी धीरे–धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। यह हिंदुत्व के लिए एक शुभ लक्षण है कि भारत नेहरू परिवार की गुलामी से मुक्त हो रहा है।

2–विपक्षी दलों की ब्लैकमेलिंग :

भारत के विपक्षी दलों ने ईवीएम, राफेल, अंबानी सहित अनेक मामलों में मुंह की खाने के बाद पहलवानों के साथ जंतर–मंतर पर नया दांव लगाया था। विपक्षी दलों के बड़े–बड़े नेता जंतर–मंतर पर जाकर अपने करतब दिखा रहे थे। नारद मुनि राकेश टिकैत भी वहां पहुंच चुके थे लेकिन सच बात वही हुई जो मैंने शुरू में ही लिख दी थी। आज विपक्षी दलों के अधिकांश नेता पहलवानों के आंदोलन के विषय में मुंह चुराते नजर आ रहे हैं। पहलवान महिलाओं ने जो आरोप लगाए थे वह आरोप कितने सच कितने झूठ यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे महिला और पुरुष के संबंधों के विषय में अब तक का अनुभव है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के साथ इससे भी अधिक कुछ किया हो, हो सकता है... लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह समझता हूँ कि वर्तमान दुनिया में इस प्रकार के आरोप लगाना महिलाओं के लिए एक धंधा बन गया है। पुराने जमाने में महिलाएं अपनी योनि का व्यापार अच्छा नहीं समझती थी जबकि वर्तमान समय में आधुनिक महिलाएं इसे सबसे अच्छा धंधा मानती हैं। ऐसी भी संभावना है कि महिलाओं ने कई वर्षों तक बृजमोहन शरण सिंह से सौदेबाजी की हो और बाद में बात बिगड़ जाने पर अपने अंतिम हथियार का

इस्तेमाल किया हो। इस संबंध में मेरा यह अनुभव है कि महिलाएं लाभ लेने के लिए समझौते करती हैं और बाद में कई वर्षों तक इस समझौते की बुनियाद पर ब्लैकमेल भी करती हैं। मैंने पाया है कि इस तरह के आरोप लगाने वाली अधिकांश महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलर ही होती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि आरोप लगाने वाली महिलाओं को ऐसा कोई नुकसान नजर आया होगा जिससे उन्होंने विपक्षी दलों का साथ छोड़ दिया होगा। मेरी अभी सलाह है कि विपक्षी दलों को अनर्गल आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा खराब नही करनी चाहिए। मैंने ऐसे भी मामले देखें हैं जिसमें महिलाएं या तो चुप रह जाती थी या बहुत गंभीर परिस्थिति में ही मुंह खोलती थी और अब ऐसा जमाना आ गया है कि जब महिलाएं कुछ भी सच नहीं बोलती बल्कि ब्लैकमेल करती हैं। स्पष्ट है कि जमाना बदल चुका है।

<u>3–वर्तमान में मोदी ही सही :</u>

यह चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जिसमें एक हिंदू अपने पड़ोसी मुसलमान से बहुत मित्रता रखता है लेकिन उसे अछूत मानता है। मुसलमान यदा–कदा हिंदू के सामान को छू लेता है और बेचारा हिंदू नाराज होते हुए भी वह सामान मुसलमान को दे देता है। यह क्रम लगातार चलता रहा। बाद में हिंदू के घर में एक लड़का आर्य समाजी हो गया और उसने चुपचाप थाने में रिपोर्ट लिखवा दी कि उसका पड़ोसी मुसलमान उसके बहुत से सामान को चुरा कर ले गया है। अंत में समझौता हुआ और वह मुसलमान हिंदू का सारा सामान वापस कर देता है।

ठीक यही हाल आज भारत में हिंदू मुसलमान संबंधों के बीच दिख रहा है। मुसलमान किसी ना किसी तरीके से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। आज ही गाजियाबाद की गंभीर घटनाएं प्रकाश में आई है, जिसमें कुछ मुसलमानों ने योजनापूर्वक कई सौ हिंदू लड़कियों का ब्रेनवाश करके उसे मुसलमान बना लिया। सिर्फ धर्म परिवर्तन तक ही बात सीमित नहीं रहती है बल्कि यह तो राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देने वाली घटनाओं में शामिल होने लगी है। आज का हिंदू समाज यह निर्णय ही नहीं कर पा रहा है कि हम अपनी आदर्श स्थिति पर कायम रहें अथवा धर्म परिवर्तन (घर वापसी) को स्वीकृति देकर अपने सारे गए हुए लोगों को वापस कर लें। मैं खुद भी अनिश्चय का शिकार हूँ। मेरे मन में कई बार आता है कि मैं आर्य समाज को मानने वाला हूँ और किसी भी तरीके से अपना सामान वापस लेना न्यायसंगत समझता हूँ। दूसरी ओर जब मेरा हिंदुत्व जागता है तब मुझे यह महसूस होता है कि हमें इस्लाम की गलत लाइन पर नहीं चलना चाहिए। दुनिया इस्लाम को अवश्य दंड देगी और हमें हिंदुत्व के गुणों से पीछे हट कर संख्यात्मक छीना झपटी में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी अब ऐसा महसूस होने लगा है कि खतरा सिर के ऊपर से गुजर रहा है और इसका समाधान करना ही चाहिए। फिर भी मुझे नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास है कि गुणात्मक हिंदुत्व भी बचा लिया जाएगा और मुसलमानों का षड्यंत्र भी असफल कर दिया जाएगा। अंत में मैंने निश्चय किया कि अगले चुनाव तक नरेंद्र मोदी पर विश्वास करुं।

<u>4–प्रधानमंत्री की लोकतान्त्रिक जंजीर :</u>

जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनके पैरों में लोकतंत्र की जंजीर भी बंधी हुई है। उन्होंने बहुत तेज गति से बदलाव शुरू किए। लेकिन उन्हें पहला झटका भूमि अधिग्रहण कानून से लगा और दूसरा झटका कृषि कानून वापसी को लेकर जिसके कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। जातिवाद के मामले में भी उन्हें कुछ समझौते करने पड़ रहे हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां न्यायपालिका भी है संविधान भी है और राज्यसभा भी है। नरेंद्र मोदी ने जिस इमानदारी से दौड़ना शुरू किया था उसमें उनकी प्रतिष्ठा दुनियाभर में बहुत तेजी से बढ़ी लेकिन उतनी ही तेज गति से उनके विरुद्ध स्वार्थी तत्व भी एकजुट होने लगे जो वर्तमान स्थिति में समानांतर ताकत बनने की कोशिश कर रहा है।

मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो आदिवासी होते हुए भी हिंदू धर्म ग्रंथों के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना उचित समझा। चर्चा में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में उम्र का बंधन हो गया है। मैं आदिवासी हूँ लेकिन मुझे आदिवासी कार्ड का उपयोग करने की इजाजत नहीं है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में पूरी स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू क्षेत्रों में आप जनेऊ भी दिखा सकते हैं और मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में आप जातिवाद का विरोध भी कर सकते हैं। दूसरी ओर जातीय संगठनों का नेतृत्व करने की आपको पूरी छूट है। कांग्रेस पार्टी में आप मृत्युशैया तक किसी भी पद पर बने रह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार देश के सभी पदों पर काबिज हो सकता है। जबकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हमारा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मुझे मेरे मित्र की बात में सच्चाई भी दिखी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि धीरे–धीरे मोदी जी चौतरफा कड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी के इस कदम से राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है लेकिन इसका कितना लाभ होगा या कितनी हानि हो सकती है यह तो आम जनता की समझदारी पर निर्भर करता है। वैसे सभी भ्रष्ट लोग 2024 में एक साथ जुड़कर मोदी को चुनौती देंगे, यह बात अब साफ–साफ दिखने लगी है।

<u>5–ज्ञान और शिक्षा में बेहतर क्या?</u>

दिल्ली के रामलीला मैदान में कल एक बड़ी आमसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कटाक्ष में उन्होंने शिक्षा को योग्यता का सर्वोच्च मापदंड सिद्ध करने का प्रयास किया। मैं बचपन से ही शिक्षा और विद्वता की तुलना में ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता रहा हूँ। ज्ञान चरित्र निर्माण में सहायक होता है और शिक्षा ऐसे चरित्र में योग्यता का विस्तारक मात्र होती है। शिक्षा कभी भी चरित्र निर्माण नहीं करती। यदि किसी को विद्वता और उच्च शिक्षा का घमंड हो जाए तो वह घमंड बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन ज्ञान का घमंड कभी होता ही नहीं है। मेरे एक मित्र जो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रहे, उन्हें भी अपनी विद्वता का घमंड हो गया और

उन्होंने अपने को दुनिया का सबसे बड़ा विचारक घोषित कर दिया। उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज उनकी कहीं कोई पूंछ–परख भी नहीं है।

कल की कहानी सुनने के बाद मुझे भी एक कहानी याद आ गई, जिसके अनुसार 15 वर्ष पहले जब मैं दिल्ली में रहा करता था तब मेरे एक मित्र राम बहादुर राय जी ने दो उच्च शिक्षित लोगों को मेरे पास कुछ सीखने के लिए भेजा। मैं हाफ पैंट पहने हुए था और वह दोनों फुल पैंट पहनने वाले थे। मैं जमीन पर बैठा करता था और उन्हें मेरे साथ जमीन पर बैठने में संकोच हो रहा था। लेकिन मजबूरी में वे लोग भी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मुझसे कुछ सीखा। एक वर्ष के बाद मैं दिल्ली छोड़कर रामानुजगंज आ गया और वह दोनों शिष्य मुझसे रामानुजगंज में भी समाज विज्ञान पढ़ने के लिए आए थे।

रामानुजगंज में मैंने उनकी पूरी टीम को यह कहा कि जो भी चर्चा होगी वह जमीन पर बैठकर ही होगी। तीन दिनों तक उन सब ने मेरी बात समझी और आगे की राजनीति शुरू कर दी। वह सब जानते थे कि मैं अल्प शिक्षित हूँ और वह लोग उच्च शिक्षित हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से मेरे ज्ञान को अपनी शिक्षा में बदलने की कोशिश की। यहां तक तो सब ठीक–ठाक रहा लेकिन मुझे तब दुःख पहुंचा जब यह पता चला कि वही मेरा शिष्य अल्प शिक्षा को अयोग्यता प्रमाणित करने के लिए समाज के बीच अपनी विद्वता का ढिंढोरा पीट रहा है। मुझे तो इस बात पर गर्व होता है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री अल्प शिक्षित होते हुए भी सारी दुनिया का अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर अति उच्च शिक्षित और शिक्षा का घमंड करने वाले भी आज उसी प्रधानमंत्री के जेल में सूखी रोटियां खा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शिक्षा का भी अपना महत्व है, लेकिन एक गुरु के दो शिष्य समान शिक्षा पाने के बाद भी कोई दुर्योधन तो कोई युधिष्ठिर बन जाते हैं क्योंकि दुर्योधन को अपने पद का घमंड हो जाता है और युधिष्ठिर शिक्षा की जगह ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर रहे होते हैं।

मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षित लोग समाज में शोषण और समस्याएं पैदा करने में अल्प शिक्षित अथवा उच्च शिक्षितों की तुलना में अधिक जिम्मेदार होते हैं। 'ज्ञान की अवहेलना' हमारे कहानी कहने वालों को भारी पड़ेगी।

6–हिन्दू मुस्लिम एकता कैसे संभव है?

समाचार है कि उत्तराखंड में एक बहुत छोटे शहर के आम हिंदुओं ने एकजुट होकर वहां के मुसलमानों के बहिष्कार की घोषणा की है। वहां की सरकार प्रत्यक्ष रूप से इस घोषणा के खिलाफ है और अप्रत्यक्ष रूप से इस घोषणा के पक्ष में है। मेरा अपना अनुभव है कि जो समस्या आज महसूस की जा रही है यह समस्या स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही शुरू हो गई थी। हम लोगों ने अपने छोटे से शहर रामानुजगंज में साठ साल पहले ही इस समस्या को सदा के लिए हल कर दिया था। हम लोगों ने यह महसूस किया था कि मुसलमान हिंदू महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उनका धर्म बदलते हैं और उस समय की सरकार इस मामले में मुसलमानों का साथ दे देती थी। हम लोगों ने यह तय किया कि किसी गैर धर्म का लड़का

अन्य धर्म की लड़की को घोषित रूप से पत्नी बनाएगा तो उसे हमारे शहर की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार चलना होगा अर्थात लड़के को लड़की का धर्म स्वीकार करना होगा। यह नियम सभी हिंदू मुसलमान भाइयों ने एक साथ स्वीकार किया था। इस नियम को ना मानने के कारण तीन मुसलमानों को अपना धर्म भी बदलना पड़ा था और दो मुसलमान लड़कों को रामानुजगंज शहर छोड़ना पड़ा था। आज तक हमारे शहर में हिंदू मुसलमान के बीच कभी कोई टकराव या मतभेद हुआ ही नहीं है क्योंकि 60 वर्ष पहले ही हमारे शहर ने इस समस्या का समाधान खोज लिया था। मैं हमेशा देखता रहा कि पूरे देश के मुसलमानों की बात–बात पर भावनाएं भड़क जाया करती थी। हजरत बल दरगाह में मोहम्मद साहब का बाल चोरी हो गया तो तुरंत ही मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया गया तो भारतीय मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई क्योंकि उस समय की सरकार भी मुसलमानों के साथ खड़ी रहती थी।

आज का वातावरण बहुत बदल गया है। अब मुस्लिम कट्टरवाद को जैसा का तैसा जवाब देने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी मैदान में आ गए हैं। अब हिंदुओं की भावनाएं बात–बात में उसी तरह भड़क जाती हैं जिस तरह मोदी के पहले मुसलमानों की भावनाएं भड़का करती थी। आज मोदी सरकार उसी तरह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी है जिस तरह उस समय कांग्रेस मुसलमानों के साथ खड़ी रहा करती थी। हिंदू मुस्लिम टकराव का सबसे अच्छा समाधान तो यही है कि एक साथ मिल बैठकर इस समाधान के लिए सामाजिक नियम बनाए जाएं और यदि मुसलमान इस बात के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें नुकसान उठाना भी संभव है। उत्तराखंड की घटना अन्य जगहों पर भी दोहराई जा सकती हैं। वर्तमान हिंदू दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को हिंदू बनाना गलत मानता है लेकिन अगर एक बार यह लहर चल पड़ी तो हिंदुओं की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि एक वर्ष में ही 10 से 15 मुसलमान हिंदू नजर आने लगेंगे। अच्छा तो यही होगा कि हिंदू भी मुसलमानों की राह पर चल पड़े, उससे पहले ही मुसलमान समझने को तैयार हो जाएं और यह प्रस्ताव पारित करें कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना मुसलमानों के लिए हराम माना जाएगा।

7–धर्म का बदलता स्वरूप

यदि धर्म का सैद्धांतिक अर्थ प्रचलित हो जाए तो राज्य धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। सच्चाई यह है कि किसी व्यक्ति को भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म का जो वर्तमान में प्रचलित अर्थ है उसमें धर्म और संप्रदाय समानार्थी हो गए हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में राज्य को धर्म सापेक्ष होना ही नहीं चाहिए। वास्तविक अर्थों में तो हिंदू धर्म प्रधान होता है और वर्तमान प्रचलित अर्थ में हिंदू पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होता है। हम लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि भारत को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कानून बनाना चाहिए। लेकिन अब तक भारत में सांप्रदायिक नियमों के लोगों

की सरकारें बनती रही है इसलिए यह सांप्रदायिक सरकारें अपने को धर्मनिरपेक्ष कह कर धर्म के आधार पर कानूनों को प्रोत्साहित करती रही। यदि राज्य स्वतंत्रता के बाद ही समान नागरिक संहिता स्वीकार कर लेता तो वर्तमान में सांप्रदायिकता जातिवाद अथवा लिंग भेद का वह टकराव देखने को नहीं मिलता जिसमें अभी तक देश की जनता जल रही है। समान नागरिक संहिता वास्तविक अर्थ में धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का कोई ढोंग नहीं। आदर्श समान नागरिक संहिता में तो व्यक्ति एक इकाई होता है उसमें धर्म, जाति, महिला–पुरुष, गरीब–अमीर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जिस समान नागरिक संहिता की चर्चा कर रही है वह पूरी तरह समान नागरिक संहिता नहीं दिखती। किंतु फिर भी आंशिक समान नागरिक संहिता भी उन लोकतांत्रिक दलों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो 70 वर्षों तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वर्ग–विद्वेष बढ़ाते रहे। नरेंद्र मोदी समाज का तो लाभ देखते ही हैं साथ–साथ अपना लाभ भी देखते हैं। पिछले चुनाव के पहले मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया था अब फिर से चुनाव आ रहा है और समान नागरिक संहिता का नारा मोदी जी का एक ऐसा ही धोबिया पाट है जिसकी काट किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है। विपक्षी दल समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे ही क्योंकि संघ परिवार जो भी कहेगा विपक्ष आंख मूंदकर उसका विरोध करेगा भले ही उनके इस कदम से उनकी आत्महत्या ही क्यों ना होती हो।

विपक्ष को यदि अगले चुनाव में जिंदा रहना है तो उसे आदर्श समान नागरिक संहिता के पक्ष में डट कर खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार आंशिक समान नागरिक संहिता ही ला सकेगी। लेकिन विपक्ष किसी भी परिस्थिति में मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ सकता और वही समान नागरिक संहिता का विरोध नरेंद्र मोदी के लिए अगले चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं नरेंद्र मोदी का पूरा–पूरा समर्थन करता हूँ।

वर्त्तमान समस्याओं का समाधान न गांधीवाद न सावरकरवाद

विचारक बजरंग मुनि

जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई वह आज से करीब 100 वर्ष पूर्व का समय था। उस समय भारत में तीन विचारधाराएं सक्रिय हो गई थी। एक विचारधारा मुस्लिम लीग की थी जो यह मानती थी कि अंग्रेजों ने भारत का शासन मुसलमानों से छीना है और अब मुसलमानों का इस पर पहला अधिकार बनता है, दूसरा संगठन हिंदू महासभा के रूप में था जो यह मानता था कि भारत की अधिकांश आबादी हिंदुओं की है इसलिए हिंदुओं का इस पर पहला अधिकार बनता है। तीसरी एक और विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी जिसका यह मानना था कि भारत को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह तीनों ही संगठन अलग–अलग अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही वातावरण में डॉ हेडगेवार ने एक चौथा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से शुरू किया। इस नए संगठन की यह विशेषता थी कि यह संगठन किसी भी संघर्ष में भाग नहीं लेगा। यदि कोई संघर्ष में शामिल

भी होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकता है संगठन के सदस्य के रूप में नहीं। इस नए संगठन का अधिक तालमेल हिंदू महासभा के साथ था लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ भी इस संगठन के लोग व्यक्तिगत रूप से तालमेल बनाकर रखते थे। इसके पहले इस संगठन के संस्थापक हेडगेवार जी कांग्रेस के साथ भी रह चुके थे तथा गांधी के साथ भी समय–समय पर तालमेल बिठाए रखे थे। व्यक्तिगत रूप से हेडगेवार जी हिंदू महासभा के उच्च पदाधिकारियों में भी शामिल रहे थे। संघ बनने के कुछ वर्षों के बाद ही हिंदू महासभा का नेतृत्व सावरकर जी के पास आया तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिन्ना के पास चला गया और कांग्रेस पार्टी ने अघोषित रूप से महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया। हेडगेवार जी संघ के प्रमुख थे ही। हिंदू महासभा तथा सावरकर से हेडगेवार जी के अच्छे संबंध भी थे और तालमेल भी था, लेकिन सावरकर के उग्र हिंदुत्व को हेडगेवार पसंद नहीं करते थे, साथ ही हेडगेवार जी संघ को राजनीतिक संगठन से भी दूर रखना चाहते थे। हेडगेवार जी हिंदू राज्य की बात ना करके हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। हेडगेवार जी आंदोलनों से दूर रहकर हिंदुओं को संगठित करने पर अधिक जोर दे रहे थे। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए मुसलमान अंग्रेजों की तुलना में अधिक खतरनाक है, लेकिन समाधान के लिए किसी प्रत्यक्ष टकराव की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले यदि हिंदू एकजुट हो जाएगा तो अपने आप शांति पूर्वक सब निपट जाएगा। सावरकर की मान्यता इसके विपरीत थी। यहां तक कि सावरकर तो हिंदू मुसलमान के बीच भी प्रत्यक्ष टकराव के पक्षधर थे तो गांधी के विरुद्ध भी आंदोलन करने में निरंतर सक्रिय रहते थे। हेडगेवार जी ने गांधी और सावरकर दोनों से तालमेल बनाकर रखा, लेकिन सावरकर ने हमेशा गांधी की सिर्फ विचारधारा ही नहीं बल्कि गांधी का व्यक्तिगत विरोध भी किया। यह अलग बात है कि हेडगेवार जी 51 वर्ष की बहुत कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो गएजबकि सावरकर स्वतंत्रता के बाद तक जीवित रहे। लेकिन इतनी कम उम्र में भी हेडगेवार जी ने हिंदू महासभा की तुलना में संघ को कई गुना आगे बढ़ा दिया। यह हेडगेवार जी की व्यक्तिगत योग्यता और उपलब्धि ही मानी जाएगी।

1940 ईस्वी में हेडगेवार जी की मृत्यु हो गई और गुरु गोलवरकर संघ के प्रमुख बन गए। हेडगेवार जी में जो संगठनात्मक क्षमता थी वह गुरुजी में नहीं थी। गुरुजी वैचारिक धरातल पर मजबूत माने जाते थे, संगठनात्मक धरातल पर कमजोर। फिर भी हेडगेवार जी की क्षमता के आधार पर संघ मजबूत होता जा रहा था और सावरकर की उग्रता से प्रभावित होकर हिंदू महासभा कमजोर होती जा रही थी। इसका परिणाम हुआ कि हिंदू महासभा के अनेक लोग वहां से टूट–टूट कर संघ में शामिल हो गए। जो भी लोग संघ में शामिल हुए उनमें संगठनात्मक निष्ठा तो संघ के साथ हो गई लेकिन उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता उसी तरह गांधी के विरुद्ध बनी रही जैसी हिंदू महासभा में थी। हेडगेवार जी सावरकर के उग्रवाद से संघ को बचाना चाहते थे लेकिन हेडगेवार जी के अभाव में पूरा का पूरा संघ ही सावरकरवादी उग्रवाद की चपेट में आ गया। जो संघ गांधी को प्रातः स्मरणीय मानता था वही संघ अब दिन–रात गांधी को गालियां देने लगा।

मेरा संघ के साथ अच्छा संबंध रहा है और मैंने एक भी ऐसा कार्यकर्ता संघ का नहीं पाया जो दिन भर में गांधी के विरुद्ध सौ से कम बातें बोलता हो। यहां तक कि गांधी के खिलाफ दिन–रात झूठी कहानियां बनाई गई। मैंने तो यह भी पाया कि संघ का आम कार्यकर्ता तानाशाही के पक्ष में दिखने लगा था। गांधी को गालियां देने के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के नामों का भी सहारा लिया गया। संघ को ना हिंदुत्व से ज्यादा मतलब रहा ना देश की ज्यादा चिंता रही। सिर्फ चिंता थी तो एकमात्र गांधी और गांधी विचार का विरोध करने की। कुछ अतिवादी संघी लोग तो इंदिरा गांधी के आपातकाल की भी प्रशंसा करने लगे। गांधी के लोक स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य, आदर्श परिवार व्यवस्था और श्रम शोषण मुक्ति के विरुद्ध भी संघ ने एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ कि संघ पर सावरकरवादियों का एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया। संघ ने सिर्फ झंडे और नाम से ही अपनी पहचान बनाए रखीअन्यथा संघ पूरी तरह सावरकरवादी उग्रवाद का प्रचारक बन गया। संघ का यह बदलाव कांग्रेस पार्टी को भी पसंद आता था क्योंकि गांधी को दिन–रात गालियां देने के कारण कांग्रेस पार्टी अपने को गांधीवादी सिद्ध करने में पूरी तरह सफल हो जाती थी। मूलतः संघ साम्यवाद विरोधी है लेकिन संघ के एकतरफा गांधी विरोध के कारण साम्यवादियों को भी यह सुविधा हुई कि गांधीवादियों को अपने साथ पूरी तरह जोड़ सके। अब तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उस समय संघ की सोच सिर्फ गांधी और गांधी विचारों के विरोध तक संकुचित हो गई थी।

मैं अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में ही समाजवादी विचारधारा से जुड़ा और 25 वर्ष की उम्र में जनसंघ के साथ जुड़ गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक उच्च पदों पर रहा। 1984 में मैंने राजनीति छोड़ दी और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर चिंतन करने लगा। अब तक के जीवन में मेरा संघ के अनेक लोगों से अच्छा परिचय हुआ है। जहां तक मेरी धारणा की बात है तो वह यही बनी है कि संघ दुनिया का पहला संगठन है जिसमें सबसे अधिक चरित्रवान और ईमानदार लोग हैं। संघ में स्वतंत्र विचारकों का अभाव है किंतु चरित्र के मामले में संघ की तुलना और कहीं नहीं हो सकती है। सन 77 में जब मैं राजनीति के उच्च पदों पर गया तो उस समय भी संघ के लोग सत्ता से जुड़े हुए थे और वो पूरी तरह ईमानदार रहे। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ईमानदारी की अब धारणा संघ के माध्यम से और अधिक मजबूत हुई। संघ के लोग समाज के लिए अपना व्यक्तिगत नुकसान भी करते रहते हैं। संघ में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना बहुत मजबूती से भरी हुई है। मैं जब 30 वर्ष पूर्व गांधीवादियों के संपर्क में आया तब मुझे यह अनुभव हुआ कि गांधीवादी भी बहुत ईमानदार होते हैं, उनका जीवन भी बहुत त्यागमयी होता है। यद्यपि संघ की तुलना में गांधीवादियों में ईमानदारों का प्रतिशत कम है। लेकिन संघ की तुलना में गांधीवादी अधिक स्वतंत्र विचारक होते हैं। संघ में अनुशासन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है जबकि गांधीवादियों में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं गांधीवादियों के साथ भी पूरी तरह एकाकार होकर रहता था और संघ के साथ भी। मैंने 25 वर्ष पूर्व ही यह निष्कर्ष निकाला था कि गांधीवादियों में भी

ईमानदार और त्यागी लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है और संघ में भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। मैं अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाल चुका था कि यदि सभी अच्छे लोग एकजुट हो जाएं तब समस्याओं का समाधान अधिक सरलता से हो सकता है। वहीं मैंने लगभग 1993 में यह निश्चय कर लिया था कि मैं संघ और गांधीवादियों के बीच एक ऐसे पुल का काम करूं जो सभी अच्छे लोगों को एकजुट करने में मदद कर सकें।

मेरा अपना अनुभव तो यही बताता है कि यदि बारूद और आग अनियंत्रित होंगे तो विध्वंस होगा लेकिन यदि दोनों को संतुलित तरीके से एकजुट कर दिया जाए तब दोनों की सामाजिक उपयोगिता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। गांधी एक विख्यात समाजशास्त्री थे और सावरकर एक क्रांतिकारी राजनेता। दोनों के बीच टकराव स्वाभाविक था लेकिन यदि दोनों के बीच एकता होती तो वो लोग और अधिक उपयोगी सिद्ध होते। अब दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दोनों के ही मानने वालों में अधिकांश अच्छे लोग हैं जिनकी शक्ति आपसी टकराव में नष्ट हो रही थी। मैंने योजनापूर्वक आग और बारूद को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। पहली बार संघ ने 2002 में नरेंद्र मोदी को आगे किया। साथ ही संघ ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर भी एक नई पहल की। जिसका गंभीर विरोध प्रवीण तोगड़िया तथा कुछ अन्य लोगों ने किया। संघ अपने मार्ग पर चलता रहा और धीरे–धीरे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को भी लगातार आगे बढ़ाया गया तथा प्रवीण तोगड़िया या उद्धव ठाकरे जैसे कट्टरवादियों से किनारा किया गया। गांधीवादियों ने भी नानाजी देशमुख अथवा मेरे सरीखे संघ से जुड़े लोगों को पूरा महत्व दिया। परिणाम हुआ कि गांधीवाद और सावरकरवाद के बीच की लड़ाई छोड़कर देश नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत की लाइन पर चलने लगा। जो लोग गांधी या सावरकर के नाम की दुकानदारी करते थे वह कमजोर पड़ने लगे और गांधी सावरकर के बीच मोदीवाद तेज गति से आगे बढ़ने लगा। मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में हमें मृत महापुरुषों के विचारों को बिना विचारे अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि वर्तमान के साथ तालमेल बिठाकर हमें वर्तमान की सक्रियता पर विचार करना चाहिए। इतिहास से सीखा जा सकता है, अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। जो भी लोग गांधी या सावरकर की आंख बंद करके आलोचना करते हैं वह या तो गलत है या बुरी नीयत के लोग हैं। वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा करके आगे का मार्ग खोजना चाहिए। गांधी का अंधानुकरण ही गांधीवादियों को समाप्त होते तक कमजोर कर चुका है। गांधी को आंख बंद करके गाली देना ही हिंदू महासभा को भी समाप्त कर चुका है। गांधीवादियों के पास गांधी जैसा महापुरुष था लेकिन गांधीवादी अतीत से चिपक कर वर्तमान के अनुसार अपने को नहीं ढाल सके हैं। जबकि संघ ने अतीत से अनुभव लेकर वर्तमान के साथ अपने को बदलने की कोशिश की है। आज नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी देश, राष्ट्र, समाज और विश्व का मार्गदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है... और मैं वर्तमान राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कासामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ना हिंदू मुस्लिम टकराव का सर्वश्रेष्ठ समाधान है।

बृजेश राय जी की जीवनी

मेरा जन्म 6 सितंबर 1989 को बिहार के भभुआ जिले के बराढ़ी ग्राम में हुआ। परिवार में मेरे अतिरिक्त एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है, बड़ी बहन का विवाह बिहार के बक्सर जिले में संपन्न हुआ। पिता जी की नौकरी के कारण जन्म के डेढ़ वर्ष पश्चात ही माता–पिता के साथ ऋषिकेश आना हुआ और यहीं पर रहकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात दून घाटी कॉलेज से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्नातक पूर्ण किया। 2012 में मैंने राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों के प्रति मेरा झुकाव होता चला गया। इसी वर्ष ऋषिकेश में एक सभा के अंतर्गत मुझे लोकनियुक्त और लोकनियंत्रित तंत्र के मध्य अंतर पता चला। एक तरफ मैं व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहा था तो दूसरी तरफ वर्ष 2013 में एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी शुरू कर दी। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ना हुआ, जिससे कि संघ को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। संघ से जुड़ने के मात्र 1 वर्ष पश्चात मुझे 2015 आर्य समाज से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां से धार्मिक क्षेत्र के प्रति मेरी समझ गहरी और तर्कशील होती चली गई। वर्ष 2020 के अंत तक अपनी नौकरी को छोड़ दिया और 3 जनवरी 2021 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में श्री बजरंग मुनि जी से प्रथम बार भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने मुनि जी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालने का कार्य शुरू कर दिया। मुनि जी के यहां रहकर मैंने उनके विचारों को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू कर दिया किंतु प्रश्न–उत्तर कम ही किया, क्योंकि यह विषय मेरे लिए नया था। प्रारंभ के एक डेढ़ महीने तक मुनि जी के अधिकांश विषयों पर मेरी असहमति रहती थी। किंतु बहुत सी बातों पर मैंने कई कई दिनों तक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोकतंत्र अव्यवस्था का कारण है और इसका समाधान लोक स्वराज्य से ही संभव है। जुलाई के अंत में अपने स्वयं के कार्य के लिए रायपुर से ऋषिकेश चला आया किंतु पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण यह कार्य सुचारू रखना संभव ना हो सका। ऋषिकेश पहुंचने के पश्चात भी निरंतर मुनि जी द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ने और समझने का प्रयास करता रहा और जो विषय समझने में कठिन थे उनके समाधान के लिए मुनि जी से फोन पर चर्चा का क्रम चलता रहा। मुनि जी के सानिध्य में रहकर मैंने मौलिक, सामाजिक, संवैधानिक अधिकार, परिवार व्यवस्था, लोकतंत्र, लोक स्वराज्य, वर्ग संघर्ष, साम्यवाद, इस्लामिक विस्तारवाद, हिंदुत्व, समाज सशक्तिकरण, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मृत्युदंड, संपत्ति विवाद के समाधान, दहेज, नैतिक, अनैतिक, अपराध, गैरकानूनी, बढ़ती हिंसा एवं स्वार्थ, महंगाई, बेरोजगारी, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा व ज्ञान जैसे अनेक विषयों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास किया। अधिकतर विषयों पर विचार मंथन करने के पश्चात मैंने यह पाया कि मुनि जी के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भारत की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं।

मुनि जी टिप्पणी

बृजेश राय जी मेरे लिए एक अपरिचित व्यक्ति और नाम रहा। पहली बार 3 वर्ष पहले उनका रायपुर आना हुआ और वे हमारे कार्यालय का कुछ काम देखने लगे। उनके साथ मेरा सैद्धांतिक मंथन भी लगातार चलता रहा। मैंने उनमें यह विशेषता देखी कि जब तक वे किसी बात को समझ नहीं लेते थे तब तक वे भले ही मेरे सामने चुप रह जावे किंतु कभी स्वीकार नहीं करते थे। वैसे तो हर आर्य समाज को मानने वाले की यह विशेषता होती है कि वे बिना समझे कोई बात नहीं मानते और साथ में अनुशासन का भी पालन करते हैं। लेकिन ये दोनों गुण बृजेश राय जी में मैंने बहुत अधिक पाया। पारिवारिक कारणों से ये हमारा कार्यालय छोड़कर घर चले गए लेकिन घर जाने के बाद भी निरंतर संपर्क में रहे। वे प्रतिदिन रात को 8 बजे होने वाली चर्चा में जुड़ते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता तो विलक्षण है ही साथ ही उनकी ईमानदारी और नियत भी पूरी तरह विश्वसनीय रही है। उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है लेकिन इसके बाद भी जिस तन्मयता के साथ वे समाज सेवा में लगे हैं वह वास्तव में अद्‌भुत है। मैं उनके सफल जीवन की कामना करता हूँ।

उत्तरार्ध

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख ("न्यास विलेख") आज दिनांक– 30–12–2022 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में बजरंग लाल अग्रवाल ("संस्थापक") द्वारा निष्पादित किया गया है (संचालन में उत्तराधिकारी शामिल होंगे) यह की संस्थापक द्वारा तय किया गया है कि यह निम्नलिखित न्यास समाज विज्ञान के अनुसंधान का कार्य, समाज में जन जागरण, समाज के विकास व् उन्नति के लिए निष्पादित कर रहे है जिसका विस्तार में विवरण क्र. चार में वर्णित है।

(1). **न्यास का नाम –**

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ("न्यास")

(2). **न्यास का पता –**

विला 42 मारूति लाइफ स्टाइल, कोटा, रायपुर–492001 (छ.ग.)

(3). **न्यास के सदस्यों के नाम –**

यह निम्नलिखित व्यक्ति मिलकर न्यास गठन करेंगे, यह आगे न्यासी को संयुक्त रूप से ("न्यासी समिति") के नाम से संबोधित किया जायेगा।

क्र.	नाम	पद
1.	श्री बजरंग लाल अग्रवाल पिता– स्व धुरामल अग्रवाल पता– बनारस चौक, आर बी पेट्रोल पंप के पीछे, वार्ड नं– 09 महारानी लक्ष्मी बाई, स्थान–जवाहर मार्केट, अंबिकापुर जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ, 497001, आधार–7460 3772 3270, पैन–AFNPA7677P,मोबाइल नं.–9617079344, ईमेल–bajrang.muni@gmail.com	संस्थापक न्यासी
2.	श्री दिनेश गोयल पिता– ओमप्रकाश अग्रवाल पता–552, गोयल सदन, नागोराव गली, तेलघानी नाका, गुजराती धर्मशाला, रायपुर–492001 छत्तीसगढ, आधार–5780 0255 7745 पैन–AGMPG6090Q,मोबाइल नं–7771818000,ईमेल–rrtradingraipur@gmail.com	सदस्य न्यासी
3.	श्री कमल गोयल पिता– अजय गोयल पता–153/21, बरही रोड, माया कुंज, बहादुरगढ, बहादुरगढझज्जर, हरियाणा, 124507, आधार–9085 8541 0418, पैन–BSCPG6760J, मोबाइल नं.–7771013503, ईमेल–goyal.kamal293@gmail.com	सदस्य न्यासी
4.	श्री कन्हैया लाल अग्रवाल पिता– धुरामल अग्रवाल पता– वार्ड 11 इन्दिरा गांधी वार्ड रामानुजगंज ,अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, आधार–335025562678, पैन–AEAPA4289F, मोबाइल नं.–9425269451, ईमेल–dhuramal.gopichand.kl@gmail.com	सदस्य न्यासी
5.	श्री रवि अग्रवाल पिता– अनिल कुमार अग्रवाल पता– विला क्रं 31 मारूती लाईफ स्टाईल,कोटा, रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी वृन्दावन, रायपुर, छत्तीसगढ, 492010 आधार–8978 5127 0269, पैन–ANWPA2569F, मोबाइल नं.–8959440000, ईमेल–ravi@mkspl.com	सदस्य न्यासी
6.	श्री भगवानदास बंसल पिता–नंदराम अग्रवाल पता– नंदराम अग्रवाल, मकान नो 22 महामाया रोड जाकिर हुसैन वार्ड नो 39 अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ पिन 497001, 492010, आधार–642976976443, पैन–ADDPB2464R, मोबाइल नं.–9826188150, ईमेल–support@margdarshak.info	सदस्य न्यासी
7.	श्री श्रीकांत अग्रवाल पिता – संतोष कुमार अग्रवाल पता–रामानुजगंज रोड अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ पिन 497001, आधार–579053104486, पैन–AHSPA7737K, मोबाइल नं–9826190890, ईमेल–shri.banti@gmail.com	सदस्य न्यासी
8.	कुमारीषानू अग्रवाल पिता– अनिल कुमार अग्रवाल पता– बनारस चौक के पास, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ, 497001, आधार–5423 4505 9244, पैन–BMKPA3154Q, मोबाइल नं–7771013522, ईमेल–shanuagrawal726@gmail.com	सदस्य न्यासी
9.	श्री पंकज अग्रवाल पिता–कन्हैया लाल अग्रवाल पता–सेंट्रल बैंक के पीछे, विजय मार्ग, गुरूनानक वार्ड, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ, 497001, आधार–4356 2952 5254, पैन–ADZPA1004E, मोबाइल नं.–9425255551., ईमेल–kanwatia.group@gmail.com	सदस्य न्यासी

(4) न्यास का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे

1. समाज विज्ञान पर अनुसंधान।

दुनिया तेज रफ्तार से आधुनिकता की ओर बढ रही है जिससे समाज विज्ञान का अनुसंधान कार्य लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है जिससे समाज शास्त्र का ज्ञान भी या तो रूढ़ हो गया है या विकृत। आदर्श परिभाषा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल का नाम समाज शास्त्र है किन्तु दुनिया मे समाजशास्त्र की परिभाषा विकृत हो गई जिसके कारण दुनिया भौतिक उन्नति को नैतिक उन्नति की तुलना में अधिक महत्व देने लगी है। चूँकि आधुनिकसमाज में व्यक्ति ने समाज–व्यवस्था के विषयों की ऐसी–ऐसी भ्रामक परिभाषाएं विकसित की है कि उनके आधार पर स्थापित व्यवस्था ही व्यक्ति को अनन्त काल तक समाज के रुप में स्थापित नही होने देगी। समाज की ऐसी दशा को देख–समझकर संस्थापक न्यासी एवं सदस्य न्यासी नें संयुक्त रूप से मिलकर इस न्यास की स्थापना की है।

2. बिना जातिगत व धार्मिक भेदभाव के जनसाधारण के लाभार्थ हेतु जनसेवा एवं विकास कार्यक्रमों का सम्पादन करना।
3. एकता और संगठन की भावना से समाज के विभिन्न समुदायों के युवा वर्ग को एक सूत्र में आबद्ध करना एवं एक विचार जागृति पैदा करने के लिये विभिन्न साधनों द्वारा प्रचार–प्रसार करना।
4. समाजिक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के विरूद्ध प्रभावी जनमानस बनाने हेतु प्रयत्न करना।
5. साहित्य, संस्कृति, विज्ञान एवं कला के क्षेत्रों में समाज कल्याण को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों को स्थापित करनेसे लेकर ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों की उच्च शिक्षाके लिये युवकों एवम युवतियों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
6. समाज के योग्य किन्तु साधनहीन शिक्षार्थियों को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रयत्न करना।
7. कला, विज्ञान, साहित्य, विधि, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में समाज की प्रतिभाओं की सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा अधिवेशन एवं अन्य सामारोह में इन्हे पुरस्कृत तथा सम्मानित करना।
8. व्यक्ति के विकास में समाज के योगदान की पूर्ण जानकारी करवाते हुये युवाओं को सामाजिक दायित्व का बोध करना।
9. समाज में व्याप्त बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना।
10. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों जरूरतमंद व्यक्तियों को समय–समय पर भोजन और आश्रय प्रदान करना।
11. समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निरन्तर क्रियाशील रहना।
12. चिकित्सा/स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, योग शिविरों, चिकित्सासंस्थानों, औषधालयों की स्थापना आदि के माध्यम सें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप सें कमजोर और आर्थिक रूप से गरीब वर्गों के लोंगो के स्वास्थ के प्रति जागरूकता को बढ़ाना।

13. समाजोपयोगी साहित्य की रचना तथा उसके प्रकाशन एवं वितरण आदि की व्यवस्था करना।
14. समाज कल्याण बोर्ड की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
15. समाज एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
16. महिला एवं बाल विकास से सम्बधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना एवं बाल श्रमिक स्कूलों का संचालन करना।
17. आदिम जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देने हेतु व्यवसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
18. विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, काष्ठशिल्प, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
19. न्यास के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति या संगठनों से दान स्वीकार करना या सदस्यता स्वीकार करवानाऔर न्यास को आय प्रदान करने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, फर्मो के साथ ऐसे नियमों और शर्तो पर फंड का निवेश करना जो इनकम टैक्स एक्ट के नियम के अनुरुप हो।

(5) <u>न्यास के अधिकार,कार्य व् कर्तव्य</u>

1. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
2. पिछले वर्ष का लेखा–जोखा परीक्षित कर न्यास बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. न्यासी बोर्ड संकल्प द्वारा न्यास की गतिविधियों का विस्तार/संशोधन/परिवर्तन कर सकता है या किसी भी गतिविधि को शुरू कर सकता हैया किसी भी मामले के लिए नियम बना सकता है जो न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रदान नहीं किया गया है किन्तु न्यास की विधान के विरूद्ध ना हो।
4. न्यास एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना और संस्था की चल–अचल सम्पतियों परलगने वाले कर आदि का समय पर भुगतान करना।
5. कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(6) न्यास बोर्ड हमेशा न्यास के आय–व्यय के समुचित (हिसाब–किताब) बनाकर न्यास के कार्यालय में रखेंगे। न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्यास बोर्ड को अधिकार प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखित है :–

न्यासी बोर्ड को प्रत्येक सदस्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के रूप में नियम और विनियम बनाने की शक्ति होगी, और कार्यकारी समिति उप–समिति सलाहकार बोर्ड की नियुक्त/गठन के लिए और प्रशासन से जुड़े किसी भी अन्य मामले के संचालन के लिए निम्न कार्य करने/करवाने के लिए अधिकृत हैः–

1. न्यास के अंकेक्षक की नियुक्ति करना तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना।
2. न्यास के वार्षिक खातों, वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता

प्राप्तियां और भुगतान खाते को स्वीकृत करना।

3. किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय या निवासी से, शर्तों के साथ या बिना किसी शर्तों के साथ भी दान, योगदान, अनुदान या सदस्यता को नगद या वस्तु के रूप में स्वीकार करना।

4. न्यास की आय का पूरा या कोई हिस्सा, या न्यासी फंड या उसके संचय को न्यासी के किसी एक या अधिक उद्देश्यों पर लागू करें, जैसा कि न्यास बोर्ड अपने विवेक से समय–समय पर उचित समझें।

5. बैंक या बैंकों में न्यास के नाम से खाता खोलना, ऐसे खाते को संचालित करने के लिए और बैंक को निर्देश देने और न्यासी बोर्ड के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा या किसी एक सदस्य द्वारा इस तरह के खाते को खोलने और संचालन के लिएअधिकार प्रदान करना जो न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

6. न्यास के दोनों ग्रुप एक साथ बैठकर न्यास का एक विधान बनायेंगे। न्यासी बोर्ड उक्त विधान के अनुसार कार्य करेगा।

(7). <u>न्यास की बैठक व संचालन</u>

1.प्रबंधक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति न्यासी बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी कर सकता हैं।

2.न्यास के दोनो ग्रुपों के सदस्य न्यास के दिन–प्रतिदिन के मामलों की चर्चा व् विचार–विमर्श हेतु एक वर्ष मे कम से कम एक बार अवश्य मिलेंगे। जिससे न्यास के मामलों की चर्चा कर सकें एवं यह सब चर्चा न्यास के पंजीकृत कार्यालय में या बोर्ड द्वारा निश्चित स्थान पर होगी, जिसेएक तिहाई सदस्य गण पूर्ति करेंगे। बैठक बुलाने के लिए सात स्पष्ट दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी, परंतु असाधारण परिस्थितियों में एक दिन के नोटिस पर भी एक आकस्मिक बैठक की जा सकती है।

3. न्यास बोर्ड की बैठक में सभी निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिये जाऐंगे।

4. प्रबंधक अथवा उनके द्वारा अधिकृत बोर्ड का कोई अन्य सदस्यन्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

5. न्यास समीति के नौ संस्थापक सदस्य तथा दाता ग्रुप के सभी सदस्य अपने अतिरिक्त एक–एक अन्य नाम देंगे जो उनकी अनुपस्थिति में उनके समान अधिकार प्राप्त माना जायेगा।यदि संस्थापक समिति अथवा दाता ग्रुप के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित सदस्य उनके जैसे ही पूरे अधिकार प्राप्त होंगे।

6. न्यास बोर्ड के सदस्य अपनी नियुक्ति/नामांकन की तिथि से <u>3 वर्ष</u> की एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेंगे और कार्यकाल पूरा होने के बाद, उनका कार्यालय स्वतः रिक्त हो जाएगा बोर्ड अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को बोर्ड में सम्मिलित कर सकता है।

7. प्रबंध न्यासी किसी भी व्यक्ति को न्यासी बोर्ड के रूप में सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा जो सदस्य के रूप में न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है या यदि उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने पर नए पदों के लिए सृजन किया जा सकता है। किन्तु ऐसे सदस्य की सीमा एक से अधिक नहीं

होगी।

8. न्यासी बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत को एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा व् बैठक के अध्यक्ष द्वारा बैठक में कार्यवाही के कार्यवृत्त को पढ़ कर हस्ताक्षर किया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व्यवसाय और अन्य मामलों का निर्णय ही पूर्ण माना जाएगा।

9. कोई भी प्रस्ताव केवल लिखित रूप में ही न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसे न्यासी बोर्ड में उपस्थित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा पारित किये जाने पर ही प्रभावशाली एवं वैध माना जाएगा।

(8) <u>न्यास की सदस्यता–</u>

1, संस्थापक न्यासी नौ सदस्य मिलकर ''ग्रुप एक'' कहे जायेंगे। यह की न्यास के निशपादन के छः महीने के अंर्तगत न्यासी समिति के सभी सदस्य संयुक्त रूप से मिलकर एक और समूह की स्थापना करेंगे। यह की दाता समूहको''ग्रुप दो''कहा जायेगा। इस समूह में ऐसे ही व्यक्ति शामिल हो सकते है, जिन्होंने न्यूनतम पाँच लाख आजीवन या पचास हजार रूपया वार्षिक दान दिया हो दोनों समूहों को मिलाकर न्यास अथवा न्यास मण्डल शब्द से संबोधित किया जायेगा। दोनों ग्रुप अपने बीच छः, छः लोगों का चुनाव करेगें जो तीन वर्ष के लिये न्यासी बोर्ड के रूप में काम कर सकेगें, जिसे न्यासी बोर्ड के सदस्य कहा जाएगा। ये बारह लोग मिलकर अपने बीच से एक प्रबंध न्यासी चुनेंगे जो बोर्ड के कार्यकाल तक प्रबंधक के रूप कार्य कर सकेंगे। यह की उपरोक्त न्यासी बोर्ड अर्थात 12 सदस्य तीन वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

2, जब कभी आवश्यक हो व्यक्तियों को प्रबंध न्यासी द्धारा एक विशिष्ट अवधि के लिए न्यासी बोर्ड में सहयोजित किया जा सकता है लेकिन ऐसे सदस्यों की कुल संख्या एक से अधिक नही होनी चाहिए।

3, प्रबंध न्यासी तथा न्यासी बोर्ड के अन्य सदस्य मिलकर न्यास के दैनिक कार्यों को देखने के लिए न्यास के सचिव व उपसचिव नियुक्त कर सकते हैं। न्यास की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य पदाधिकारियों का चुनाव न्यासी बोर्ड के सदस्यों द्धारा अपनें सदस्यों में से किया जा सकता है।

4. संस्थापक तथा अन्य 8 न्यासी सदस्य आजीवन रहेंगे एवं दाता ग्रुप के सिर्फ वही सदस्य आजीवन बने रहेगें जो न्युनतम पाँच लाख आजीवन या लगातार पचास हजार रूपये वार्षिक दान दिये हो(यह दान व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते या उसके किसी फ़र्म के खाते से दिया जा सकता है)।

5. दोनो ग्रुप अपने बीच से छः–छः लोगों का चुनाव करेंगे जो तीन वर्ष के लिये न्यासी बोर्ड के रूप में काम कर सकेंगे। ये बारह लोग मिलकर अपने बीच से एक प्रबंध न्यासी चुनेंगे जो बोर्ड के कार्यकाल तक प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

6. जब कभी आवश्यक हो इच्छुक व्यक्तियों को न्यास समीति द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वतंत्र निर्देशक को न्यास बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है (जिसे मत देने का अधिकार नही होगा) लेकिन ऐसे सदस्यों की कुल संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. संस्थापक न्यासी न्यासी समीति तथा न्यास बोर्ड के अन्य सदस्य मिलकर न्यास के दैनिक कार्यो को देखने के लिए न्यास के सचिव व् उपसचिव नियुक्त कर सकते हैं। न्यास की आवश्यकताओं के अनुसार

अन्य पदाधिकारियों का चुनाव न्यासी बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जा सकता है।

8. ट्रस्टीबोर्ड संस्थापक न्यासी समिति अथवा न्यासी मंडल किसी भी सदस्य को नया सदस्य बना सकती है। दाता ग्रुप से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि वह पाँच लाख रूपया आजीवन या पचास हजार रूपया वार्षिक का दान ट्रस्ट को देवें। (बोर्ड किसी प्रस्ताव द्वारा कभी भी दान राशि की मात्रा कम या अधिक (बदलाव) करने का निर्णय कर सकता है)

9. दाता समूह में से यदि कोई व्यक्ति फ़र्म या कंपनी पचास हजार वार्षिक या पाँच लाख एकमुश्त से अधिक दान देता है तो उस आधार पर उसकी सदस्य संख्या दान के मूल्य के अनुसार बढ़ सकती है किन्तु किसी भी मतदान के समय उसकी सदस्यता 3 तक ही मानी जायेगी।

(9) <u>न्यास का वित:</u>

1. न्यास की सभी गतिविधियाँ गैर–लाभकारी होंगी।

2. न्यासी मंडल केवल उन्हीं धन और निधियों के लिए जवाबदेह होगी जो वास्तव में उनके हाथ में आएंगे।

3. शुरुआत में, न्यास को रुपए1,00,000/–एक लाख रूपए मात्र संस्थापक द्धारा व अन्य 8 न्यासी सदस्य पृथक–पृथक रूप से रुपए 25000/– पच्चीस हजार रूपए मात्र के प्रारंभिक कोश के साथ शुरू किया जाएगा, तत्पश्चात न्यास द्वारा संचालित उद्देश्य के माध्यम से शुल्क और सदस्यता से धन एकत्र किया जाएगा।

4. न्यास द्वारा व्यक्ति या संगठनों से किसी भी रूप में दान और स्वयंसेवी योगदान स्वीकार करेगा, यह सरकार या कॉरपोरेट निकाय से सहायता स्वीकार कर सकता है या बैंकों, वित्तीय संस्थान या व्यक्तियों से ब्याज के साथ या बिना पैसे उधार लेकर धन जुटा सकता है। उधार लिया गया पैसा़ ऋण के नियम और शर्तों के अनुसार वापस किया जाएगा।

5. यह कि न्यास की सभी आय, कमाई चल/अचल संपत्ति का पूरी तरह से उपयोग न्यास द्वारा ही किया जाएगा और इसके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाएगा जैसे कि उपरोक्त वर्णित है। यह कि न्यास द्वारा कोई लाभ लाभांश, बोनस के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा एवं न्यास के किसी भी वर्तमान या पूर्व सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को यह लाभ नहीं प्राप्त होगा। न्यास के किसी भी सदस्य का न्यास की किसी भी चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं होगा या उसकी सदस्यता के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नही होगा।

6. न्यास के फंड को प्रारंभिक फंड से होने वाली आय और समय–समय पर दान और अन्य योगदान से भी बढ़ाया जाएगा।

7. न्यास के फंड को धारा 5 में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य पर लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य उद्देश्य न्यास के उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों में शामिल नहीं हो जाते।

8. न्यास की निधि का उपयोग न्यास और न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के रख–रखाव, विकास और विस्तार के लिए किया जाएगा। अर्जित की गई कोई भी अचल संपत्ति न्यास या न्यास द्वारा संचालित

संस्थानों के नाम पर पंजीकृत की जाएगी।

9. पदाधिकारी हमेशा न्यास के उचित खातों का रखरखाव करेगा, जिसे न्यास के कार्यालय में रखा जाएगा। न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त योग्य लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष में एक बार खातों का अंकेक्षण किया जाएगा।

10. न्यास का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होगा।

11. न्यास का बैंक खाता छत्तीसगढ़ या अन्य स्थान पर किसी भी अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा, जिसे न्यास के वित्त को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए न्यासी मंडल बाद में निर्णय ले सकता है और संयुक्त रूप से न्यास समिति (संस्थापक व 8 सदस्य) द्वारा संचालित किया जाऐगा।

(10) <u>न्यास के सदस्य का निष्कासन एवं निलंबन</u>

1. यदि न्यास के सदस्य का निधन हो जाए।

2. यदि न्यास के सदस्य को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए अथवा नैतिक पतन के लिए दोषी पाया जाए।

3. यदि उसे न्यास हितों के विरुद्ध काम करते हुए पाया जाए।

4. यदि उसे न्यास के 3/4 बहुमत द्वारा त्याग पत्र देने के लिये निवेदन किया जाता है।

5. न्यासी बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंध ट्रस्टी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। तीन वर्ष में पुनः दोनों ग्रुप उसी राज्यसभा पद्धति से बारह सदस्यों का चुनाव करेंगे। अनुपात वही छः–छः का रहेगा।

6. यदि विलेख के विधान में कोई संशोधन करना होगा तो दोनों ग्रुपों के सदस्य एक साथ या अलग–अलग बैठकर बदलाव कर सकते हैं किन्तु बदलाव में भी कुल मत प्रतिशत वही पचास–पचास रहेगा। यदि विलेख के मूल दस्तावेज में कोई संशोधन करना होगा तो संस्थापक व 8 सदस्य तथा न्यास बोर्ड के सदस्य एक साथ बैठकर ही कर सकते हैं।

7. न्यास बोर्ड के सदस्य एक महीने का पूर्व लिखित नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते है, उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त है।

8. ऊपर लिखित नियम के अनुसार वो न्यास बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह न्यासी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये भाग लेने में विफल रहता है।

9. यदि निश्चित अवधि के सदस्य से न्यासी बोर्ड के शेष सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस्तीफा देने का अनुरोध किया जाता है तो उसका कार्यालय खाली माना जाएगा।

10. यदि कोई व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हुए पाया जाता है तो वह न्यास का सदस्य योग्य नहीं रहेगा।

11. क–मतदान– दोनो समूहो की सयुक्त बैठक मे यदि मतदान होगा तो मतदान राज्य सभा प्रणाली से होगा। अर्थात कुल मत सौ मे से दोनो ग्रुपों के पचास–पचास मत होगे। अर्थात यदि प्रथम ग्रुप के 7 सदस्य मतदान करते हैं तो प्रत्येक सदस्य का मत 50/7 दूसरे ग्रुप के नब्बे

मतदान करते हैं तो मतमूल्य 50/90 रहेगा। किसी भी ग्रुप के किसी भी सदस्य का मत का मूल्य 10 से अधिक नहीं होगा। यदि किसी मतदान में किसी ग्रुप के कम सदस्य है तब भी उसके मत का मूल्य 10 से अधिक नहीं होगा।

<u>**उदाहरण के तौर पर**</u> – प्रत्येक सदस्य का एक वोट का मूल्य अधिकतम 10वोट के बराबर का अधिकार रखेगा। किसी भी मतदान मे प्रत्येक ग्रुप की मतदान की हिस्सेदारी केवल 50 प्रतिशत की ही रहेगी उससे अधिक की नही रहेगी।

<u>केस–1</u>

यदि किसी मतदान मे एक ग्रुप से 4 और दुसरे ग्रुप से 40 सदस्य मतदान मे शामिल होते है तो

प्रथम ग्रुप के 4 सदस्यो के मतदान मे हिस्सेदारी–4 ग 10 ?40 प्रतिशत रहेगी और

दुसरे ग्रुप के 40 सदस्यो के मतदान मे हिस्सेदारी–40 ग 10 ?400 प्रतिशत होती परन्तु किसी भी ग्रुप की मतदान की हिस्सेदारी केवल 50 प्रतिशत से अधिक नही रहेगी इसलिए दुसरे ग्रुप के प्रत्येक सदस्यो के प्रत्येक वोट की हिस्सेदारी 50/40 ?1.25 प्रतिशत मानी जाएगी इसलिए दुसरे ग्रुप के 40 सदस्यो के मतदान मे हिस्सेदारी–40 ग 1.25 ?50 प्रतिशत रहेगी।

ख – कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

ग – यदि बोर्ड या अन्य कहीं भी मतदान मे मत बराबर होंगे तो संस्थापक न्यासी का मत अंतिम निर्णय करेगा।

(11) <u>न्यास का विघटनः</u>–

यदि न्यासी बोर्ड के कम से कम दो तिहाई सदस्य न्यासी बोर्ड को भंग करने का संकल्प लेते हैं, तो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में, न्यासी बोर्ड भंग हो जाएगा, न्यास के दोंनो ग्रुप बैठकर नया बोर्ड बना सकते हैं। यदि न्यास का विघटन करना हो तो नौ संस्थापक सदस्य तथा ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य मिलकर कर सकते हैं। ट्रस्ट के विघटन के पश्चात ट्रस्ट की सभी चल अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यो के लिये काम कर रही संस्था को सौंपी जा सकती है।

(12) <u>परिभाषाएं</u>

इस ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी शब्द हैं:–

1. ग्रुप एक– इसमें 9 संस्थापक सदस्य।
2. ग्रुप दो – दाता सदस्य।
3. ट्रस्ट या ट्रस्टी मंडल न्यास या न्यासी मंडल– दोनों ग्रुप को मिलाकर।
4. बोर्ड – दोनों ग्रुप द्वारा चुनी गई कार्य समिति।
5. प्रबंधक – बोर्ड का अध्यक्ष।
6. विधान – दोनों ग्रुप बैठकर जो विधान बनायेंगे जिसका पालन बोर्ड करेगा, किन्तुविधान मूल विलेख से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
7. न्यास और ट्रस्ट तथा न्यासी और ट्रस्टी का अर्थ एक ही होगा।

बैंक अकाउंट नीचे दिया हुआ है।

13–ट्रस्ट का गठन

मैंने अपने जीवन में यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक कार्यों के लिए चंदा करने की तुलना में दान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान समय में समाज की एकजुटता खंडित हो रही है, राज्य समाज को कमजोर कर रहा है। दोनों दिशाओं में हमारी सक्रियता आवश्यक है जो घटती जा रही है। चूंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है इस लियेअब भविष्य के लिए इस कार्य को वैधानिक स्वरूप देना ही उचित होगा। इसलिए मैं लंबे समय से एक वैधानिक ट्रस्ट बनाने की सोच रहा था। ऋषिकेश में इसके स्वरूप पर अंतिम चर्चा जारी थी कि तभी कोरोना की वजह से रायपुर को अपना केंद्र बनाना पड़ा। काफी लंबे समय के बाद वर्तमान परिस्थिति में ही एक वैधानिक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जिसका प्रारूप आपके सामने ऊपर दिया गया है। इस ट्रस्ट में जो दानदाता 50000 (पचास हजार रुपए) वार्षिक या 500000 (पांच लाख रुपए) एकमुश्त दान देंगे उन्हें दाता सदस्य के रूप में ट्रस्ट के संचालन में भागीदारी दी जाएगी। जो दानदाता कम से कम एक सौ रुपए वार्षिक या पंद्रह सौ रुपए से अधिक दान देंगे उन्हें ज्ञान यज्ञ परिवार की सदस्यता दी जाएगी और उन्हें ज्ञान तत्व निःशुल्क मिलता रहेगा। वैसे तो वर्तमान समय में ज्ञान तत्व की वार्षिक लागत करीब डेढ़ सौ रुपए आती है लेकिन वार्षिक सौ रूपए जमा करने वाले सभी सदस्यों को ज्ञान तत्व मिलेगा। जो दानदाता पंद्रह सौसे अधिक वार्षिक दान देंगे उन्हें ज्ञान यज्ञ परिवार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। इस प्रकार का सभी दान इस रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बैंक अकाउंट नंबर पर भेजा जा सकता है। कोई भी सामाजिक कार्य बिना दान के चलना संभव नहीं है और दान हमेशा स्वैच्छिक होता है। इसलिए हम लोगों ने न्यूनतम सौ रुपए तक के दान को विधिवत सदस्यता राशि के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यदि कोई साथी या दानदाता सौ रुपए से भी कम दान देंगे तब उसे सदस्यता तो नहीं मिलेगी लेकिन उसका दान स्वीकार किया जाएगा। इस तरह हम इस वैधानिक ट्रस्ट का एक नया प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों के और जो भी सुझाव आएंगे उस पर भविष्य में और विचार किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप जो भी दान देना चाहे वह इस ट्रस्ट के खाते में दे सकते हैं साथ ही आप अपने सुझाव भी हमारे कार्यालय के ''बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स नंबर–15, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001''.के नाम से अथवा मेरे फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर 96170 79344 पर भेज सकते हैं।

बैंक विवरण–

अकाउंट का नाम – MARGDARSHAK SAMAJIK SHODH SANSTHAN

अकाउंट नम्बर – 777305500185

आईएफएससी (IFSC) कोड–ICIC0007773

अकाउंट टाइप– Current

ब्रांच – FAFADIH Raipur BRANCH

हमारी संस्थाएँ

- मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान
- ज्ञान यज्ञ परिवार

संस्थान के कार्य

- समाज विज्ञान पर विश्वव्यापी रिसर्च तथा निष्कर्ष निकालना।

परिवार के कार्य

- देश भर में ज्ञान केन्द्रो का इस तरह विस्तार कि वहाँ स्वतंत्र विचार मंथन हो तथा संवाद प्रणाली विकसित हो।

कार्यक्रम

- ज्ञान चर्चा- प्रतिदिन शाम साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार।
- ज्ञान मंथन- प्रत्येक रविवार को जूम एप के माध्यम से दोपहर ग्यारह बजे बजरंग मुनि जी द्वारा पूर्व निर्धारित विषय पर विचार प्रस्तुति तथा सोमवार को ग्यारह बजे उक्त विषय पर प्रश्नोत्तर ।
- मार्गदर्शक मंडल- ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।
- ज्ञान कुंभ- वर्ष मे दो बार पंद्रह-पंद्रह दिनो के ज्ञान कुंभ जिसमे मार्ग दर्शक मंडल के लोग स्वतंत्र विचार द्वारा प्रतिदिन दो-दो विषयों पर निष्कर्ष निकाल कर समाज को दें।

माध्यम

- ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
- फेसबुक एप से प्रसारण
- वाट्सएप ग्रुप से प्रसारण
- जूम एप पर वेबिनार
- यू टयूब चैनल
- इस्टाग्राम
- टेलीग्राम
- कू एप

ज्ञानतत्व पाक्षिक पत्रिका का माह में दो प्रति का प्रकाशन सुचारु रुप से होना शुरु हो गया है। इसकी सहयोग राशि रु. 100/- वार्षिक अभी तय किया गया है। लेख प्रस्तुती आदि पर सुझाव अवश्य दें।

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीकरण क्रमांक-68939/98

डाक पंजीयन क्रमांक- छ.ग./रायगढ़/010/2022-2024

प्रति,

श्री/श्रीमती ____________________

____

____

____

संदेश

वर्तमान संसदीय लोक तंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रुपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

– बजरंगलाल

पत्र व्यवहार का पता

पता – बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492001
Website : www.margdarshak.info

प्रकाशक, सम्पादक व स्वामी – बजरंगलाल

09617079344

Email : bajrang.muni@gmail.com
support@margdarshak.info
Facebook Id : बजरंग मुनि (User Name)

मुद्रक – माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)